7

# वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर की वित्त समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक--05.07.2021 को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्तः–

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही–

1. प्रो0 डा0 निर्मला एस0 मौर्य — अध्यक्ष
   कुलपति

2. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव (प्रतिनिधि,अपर मुख्य सचिव,वित्त) — सदस्य
   अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ
   पेंशन एवं कोषागार,
   वाराणसी परिक्षेत्र,वाराणसी।

3. डा0 ज्ञान प्रकाश वर्मा (प्रतिनिधि,अपर मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा) — सदस्य
   क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0शासन,लखनऊ
   वाराणसी।

4. प्रो0जे0एन0मिश्रा, — सदस्य
   जे–6 सोनल अपार्टमेन्ट,
   जार्ज टाउन, इलाहाबाद–211002

5. श्री महेन्द्र कुमार — सदस्य
   कुलसचिव

6. सुनील कुमार — सदस्य/सचिव
   वित्त अधिकारी

निर्धारित कार्य सूची के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

प्रस्ताव सं0–1

**दिनांक–25.8.2019 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार।**

दिनांक–25.8.2019 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या से समिति संज्ञानित हुई ततपश्चात प्रस्ताव सं0–17 एवं 20 में निम्न संशोधन किये जाने की संस्तुति की गयीः–

कोविड–2019 को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रबंध संकाय, इंजीनियरिंग, एम0सी0ए0, विज्ञान संकाय में अतिरिक्त सीट में प्रवेश लेने वाले छात्रों से शैक्षिक सत्र 2020–21 में कोविड–2019 महामारी के दृष्टिगत शिक्षण शुल्क रू0 61,000/–लिये जाने की संस्तुति की गयी थी। समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 में प्रवेश लेने वाले ऐसे छात्रों से शैक्षिक सत्र 2021–22 में रू0 61,000/– शिक्षण शुल्क लिये जाने की ही संस्तुति की गयी लेकिन भविष्य के लिये इसको आधार न बनाया जाय।

दिनांक–25.8.2020 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0–20 में सर्व सम्मति से ए0सी पर रू0 1,000/– प्रतिमाह विद्युत मूल्य वसूल किये जाने की संस्तुति की गयी थी। समिति द्वारा उक्त व्यवस्था को इस प्रतिबंध के साथ जारी रखने की संस्तुति की गयी कि आगामी छः माह के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा आवासों में प्रीपेड मीटर लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्तानुसार कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

**प्रस्ताव सं0—02**

वित्तीय वर्ष 2021—22 के आय—व्यय में एस0आर0 फण्ड का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

**निर्णय—**

समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

**प्रस्ताव सं0—03**

वित्तीय वर्ष 2021—22 के आय—व्यय में बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ (IPR) के लिये धनराशि का प्राविधान किये जाने पर विचार।

**निर्णय**

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2021—22 में बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ (IPR) के संचालन हेतु धनराशि प्राविधानित किये जाने की संस्तुति की गयी।

**प्रस्ताव सं0—04**

समन्वयक,कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र के पत्र दिनांक 6.2.2021 (कार्यालय के आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम हेतु) पर विचार।

**निर्णय**

समिति द्वारा सर्व सम्मति से समन्वयक, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र को कार्यालयी व्यय हेतु रू0 5,000/— (पांच हजार मात्र) स्थायी अग्रिम दिये जाने की संस्तुति की गयी।

**प्रस्ताव सं0—05**

छात्रहित में अंकपत्र संशोधन का निर्धारित शुल्क रू0 500/—को परीक्षा समिति एवं वित्त समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में कम करते हुए रू0 300/— लिये जाने का निर्णय लिया गया।

**निर्णय**

समिति संज्ञानित हुई एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0—06

जी0एस0टी0 निदेशालय द्वारा महाविद्यालयों से सम्बद्धता शुल्क पर जी0एस0टी0 लिये जाने पर विचार।

**निर्णय—**

समिति को अवगत कराया गया कि सम्बद्धता शुल्क से सम्बन्धित प्रकरण जी0एस0टी0 निदेशालय में लम्बित है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त प्रकरण में यह स्पष्ट किया गया कि सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय की आय नहीं है। महाविद्यालय के विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त होने की स्थिति में सम्बद्धता शुल्क वापस किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा सर्व सम्मति से सम्बद्धता शुल्क पर जी0एस0टी0 शुल्क न लिये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–08

वित्तीय वर्ष 2019–20 की बैलेंस शीट के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2019–20 की बैलेंस शीट अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

**प्रस्ताव सं0–09**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्यय के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2021–22 का आय–व्यय अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी तथा आगामी माहों में मदों में व्ययाधिक्य की स्थिति में व्यय हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

**अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार**

प्रस्ताव सं0–1

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित व्यवहारिक मनोविज्ञान एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम का शैक्षिक शुल्क रू0 31,000/– के स्थान पर रू0 21,000/– किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपरोक्त पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिये शिक्षण शुल्क 31,000/– के स्थान पर रू0 21,000/– लिये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की गयी कि यह व्यवस्था वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिये ही मान्य होगा और इसके प्रभावी परिणाम को देखते हुए आगामी शैक्षिक सत्र के लिये विचार किया जायेगा एवं अन्य विभागों द्वारा इसे आधार न बनाया जाय।

प्रस्ताव सं0–02

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों का मानदेय बढ़ाये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों का मानदेय बढ़ाये जाने के लिये विभिन्न पाठ्यक्रमों के आय–व्यय, शिक्षकों की सेवावधि, शासनादेश में दिये गये निर्देश एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार करने के लिये तीन सदस्यीय समिति बनाये जाने के लिये कुलपति को अधिकृत किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–03

विश्वविद्यालय में कार्यरत वर्ष 2001 तक नियुक्त तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने पर विचार।

निर्णय

विश्वविद्यालय में दिसम्बर,2001 तक नियुक्त किये गये तदर्थ एवं संविदा कार्मिकों का विनियमतीकरण अधिसंख्य पदो के सापेक्ष किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाना है। समिति द्वारा उक्त पदों पर होने वाला व्यय भार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जाने की सहमति प्रदान की गयी। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–04
वित्त अधिकारी को पूर्व में कार्यालयी व्यय के लिये स्वीकृत धनराशि रू0 2,000/– को बढ़ाये जाने पर विचार।

**निर्णय**
समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव को कार्यालयी व्यय के लिये एक माह में अधिकतम रू0 5,000/– (पांच हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी।
प्रस्ताव सं0–05
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, शिक्षक संघ, जौनपुर के पत्र दिनांक–3.7.2021 पर जिसमें बीमारी एवं मृत्यु हो जाने पर शिक्षकों को पूर्व में दी जा रही आर्थिक सहायता क्रमशः रू0 80,000 (अस्सी हजार) एवं मृत्यु होने की स्थिति में रू0 1.00(एक लाख) को बढ़ाये जाने पर विचार।

**निर्णय**
समिति द्वारा सर्व सम्मति से शिक्षक संघ के पत्र पर विचार करते हुए क्रमशः सामान्य बीमारी एवं दुर्घटना होने पर अधिकतम रू0 1,00,000/–(एक लाख मात्र) गम्भीर बीमारी (आयकर की धारा 80सीसीडी में वर्णित बीमारियों यथा कैंसर, हार्ट, लीवर आदि की बीमारी) होने पर अधिकतम रू0 1.50लाख (डेढ़ लाख मात्र) एवं मृत्यु हो जाने की दशा में रू0 2.00 लाख (दो लाखमात्र) की आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देने के उपरांत बैठक समाप्त हुई।

12/07/2021
(प्रो0 निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष

12/07/2021
(सुनील कुमार)
वित्त अधिकारी
सदस्य/सचिव